

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

10 / 2018
26.04.2018

गंगाराम पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी सदरपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक
03.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 06.12.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 700 मे से रकबा 16 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सदरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट विवादित भूमि पर अतिचारी की हैसियत से काबिज ना होकर कई वर्षों से काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट के काबिज होने पर किसी भी प्रकार का राजकीय सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो रहा है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर



Neel
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
- टोंक

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की धारणा कर अपनी मनमरजी से बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है, परन्तु नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल नहीं हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 700 में से रकबा 16 बिस्वा किस्म गै0मु0 खलियान भूमि वाके ग्राम सदरपुरा तहसील मालपुरा पर पक्का मकान बनाकर व ज्वार, मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 300/2015 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख नहीं किया कि अपीलांट को पूर्व में किस पत्रावली/निर्णय दिनांक से बेदखल किया गया है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 03.09.2015 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 03.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य-सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र रथगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



ae
(सखाराम खोखर)
अतिरिक्त जिला इलाहाबाद
अति.जिला कलेक्टर, दोह

